न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः 14/2019 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2019/00016)

रामजीलाल पुत्र कल्लाराम जाति मीना निवासी ग्राम गुलाबपुरा थाना सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील खिलाफ आदेश कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.5.2010

उपस्थितिः—

1. श्री पूरनसिंह सिनसिनवार वकील अपीलान्ट
1. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य

दिनांकः 22.8.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.5.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र गुर्जर आन्दोलन के दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से दिनांक 27.5.2007 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये थे । जिनमें से जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 2675 दिनांक 23.4.2010 के आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची अनुसार कुल 26 अनुज्ञाधारियों के शस्त्र निलम्बित रखते हुये शेष सभी अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र बहाल कर दिये गये। इस सूची में क्रम संख्या 9 पर अपीलान्ट का नाम भी अंकित है जिसका शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली का आदेश क्रमांक न्याय/07/3750 दिनांक 27.5.2007 अवैध है एवं निर्णय दिनांक 13.5.2010 जो कि अपीलान्ट रामजीलाल पुत्र कल्लाराम क्रमांक 9 पर दर्ज है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट का लाईसेंस दिनांक 31.12.2011 तक रिन्यू है और अपीलान्ट की बन्दुक दिनांक 15.11.2008 से पुलिस थाना सपोटरा जिला करौली में जमा है जो अपीलान्ट को आज तक नहीं मिली है। तहत अदालत ने गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के समय जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आदेश दिनांक 27. 5.2007 से निलम्बित किया गया था। उक्त आदेश के उपरान्त जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 23.4.2010 के आधार पर तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.5. 2010 पारित करते हुये 26 व्यक्तियों के अनुज्ञापत्रों के अलावा सभी के अनुज्ञापत्रों को बहाल कर दिया गया है। उक्त सूची के क्रम संख्या 9 पर अपीलान्ट का नाम भी अंकित है। जो आज दिनांक तक बहाल नहीं किया गया है। इस वजह से अपीलान्ट का लाईसेंस रिन्यु भी नहीं हो सका है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुये पारित किया गया गया था क्यों कि अब परिस्थितियां सामान्य हो चुकी है इसलिऐ अपीलान्ट का लाईसेंस बहाल किया जाना चाहिऐ था। चूंकि अपीलान्ट किसी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है ना ही अपने लाईसेंसी हथियार का कभी दुरूपयोग किया है बल्कि लोकशांति में सहयोग देते हुये अपनी बन्दुक को सपोटरा थाना में जमा कराया है जो आज भी जमा है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट अशिक्षित भी है और उस वक्त बीमार भी हो गया था फिर भी नकल लेने के पश्चात दिनांक 13.9.2018 को अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की जानकारी में आया। न्यायालय हाजा से नकल प्राप्त की और तत्काल अपील की कार्यवाही की गई है। अपील प्रस्तुतीकरण में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की गई है। जानकारी एवं नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी निर्णय की तारीख दिनांक 13.5.2010 को दृष्टिगत रखते हुये पृथक से दफा–5 का प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये निलम्बित किये गये शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

विद्धान सहायक लोक अभियोजक. का तर्क है कि गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा जिले के समस्त अनुज्ञाधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिये थे। जिनमें अपीलान्ट का भी शस्त्र अनुज्ञापत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से निलम्बित किया गया था। इस संदर्भ में शस्त्र अनुज्ञापत्र के थाने में जमा होने, अनुज्ञापत्रधारी के चरित्र एवं अनुज्ञापत्र के बहाली/ नवीनीकरण के संबध में जिला पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट प्राप्त की गई । जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2675 दिनांक 23 अप्रेल 2010 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र के बहाली/नवीनीकरण किये जाने के संबध में सूची अनुसार कुल 26 अनुज्ञापत्र धारियों के विरूद्ध आपत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। साथ ही रिपोर्ट में अंकित किया कि अपीलान्ट लाईसेंसधारी के विरूद्ध मु0सं0 43/2010 धारा 143, 452, 379, 436 आई0पी0सी0 में दर्ज है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट करौली ने आयुध अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उचित आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा जिले के समस्त अनुज्ञाधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिये थे। जिनमें अपीलान्ट का भी शस्त्र अनुज्ञापत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से निलम्बित किया गया था। किन्तु बाद में जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 23 अप्रेल 2010 के आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निलम्बित ही रखा गया जिसका कोई ठोस कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक करोली की रिपोर्ट दिनांक 23 अप्रेल 2010 में मात्र मुकदमा संख्या 43/2010 का हवाला दिया गया है। किन्तु उस प्रकरण का क्या परिणाम रहा क्या अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी माना गया अथवा बरी किया गया है इस बाबत कोई विवेचना नहीं की गई है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात है और उस मुकदमें में दोषी पाया जाना दूसरी बात है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाये तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट के चरित्र के संबध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या सबूत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलान्ट का चरित्र संदिग्ध माना जा सके। दौराने पारित अपीलाधीन आदेश तहत अदालत को उपरोक्त तथ्यों की जांच किया जाना बेहद आवश्यक था । कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा तत्कालीन कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। वर्तमान में चूंकि परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है। अतः प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश केवल अपीलान्ट की हद तक अपास्त करते हुये प्रकरण (अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची के क्रम संख्या 9 की हद तक) रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि

Web Copy - Not Official

अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट करौली आर्म्स एक्ट की धारा 13 में अपेक्षित जिला पुलिस अधीक्षक करौली की अपीलान्ट के चरित्र आदि के संबध में पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करें। साथ ही मु0सं0 43/2010 की वर्तमान स्थिति/परिणाम को दृष्टिगत रखते हुये अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये धारा 17 (3) की मंशा के अनुसार वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official